



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 30.01.2026

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा**

❖ **मिशन शक्ति अभियान** के तहत चिह्नित अभियोग में **ऑपरेशन कनक्विशन** के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप वर्ष 2021 में थाना मरका क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति व ससुर को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 02-02 हजार रुपये जुर्माने की सजा ।

**विवरण**—पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन कनक्विशन”** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में **मिशन शक्ति अभियान** के तहत चिह्नित वर्ष-2021 में थाना मरका क्षेत्र अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति व ससुर को **10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने** से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि जनपद पैलानी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम हरवंश पुरवा की रहने वाली चुनकी देवी ने दिनांक 02.09.2021 को थाना मरका पर सूचना दी कि उनकी पुत्री का विवाह वर्ष 2019 को थाना मरका क्षेत्र के ग्राम कबीरपुर के रहने वाले दिनेश से हुई थी, शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों द्वारा उनकी पुत्री की दिनांक 21.05.2021 को फांसी लगाकर जान से मार दिया गया । इस सम्बन्ध में **थाना मरका में मु0अ0सं0 70/21 धारा 498ए/304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट** पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री सियाराम द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 04.12.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । **लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार तिवारी** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी नितीश कुमार तथा पैरोकार आरक्षी पुरुषोत्तम** के अथक प्रयासों से **आरोपी पति व ससुर** को **मा0 सत्र न्यायालय बांदा** द्वारा **10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 02-02 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित कराया गया ।

### **अभियुक्त-**

1. दिनेश पुत्र राजकरन निवासी कबीरपुर थाना मरका जनपद बांदा ।
2. राजकरन पुत्र पंचु प्रसाद निवासी कबीरपुर थाना मरका जनपद बांदा ।